न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 104/2014/ प्रा. पत्र माध्यस्थम्

1. पोखरमल
2. बोदूराम
3. भगवानाराम

पुत्रगण मांगूराम, जाति जाट, निवासीगण ग्राम–गोरियां, तहसील –दांतारामगढ़, जिला– सीकर।

प्रार्थीगण/अपीलांटस्

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजाना कियान्वयन ईकाई रींगस, जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण पी. आई. यु. रींगस।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी जरिये अपर जिला कलक्टर सीकर।

अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–
(1) श्री दिनेश मंडीवाल, वकील अपीलान्ट की ओर से।
(2) श्री दीपक शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09.11.2012 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण परियोजना कियान्वयन, ईकाई रींगस, जरिये प्राजेक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी. आई. यू. रींगस मु. नं. 111/12 उनवानी सरकार बनाम बोदूराम आदि

निर्णय

सुनवाई तिथिः 1 फरवरी, 2018 निर्णय दिनांकः 15 फरवरी, 2018

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पोखरमल, बोदूराम, भगवानाराम पुत्रगण मांगूराम, जाति जाट, निवासीगण ग्राम–गोरियां, तहसील–दांतारामगढ़, जिला–सीकर की ओर से वकील श्री दिनेश मंडीवाल द्वारा सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) सीकर के आदेश दिनांक 09.11.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया गया है कि :–
   (1) प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 1.15 है. वाकै ग्राम गोरियां तहसील दांतारामगढ़ सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण विगत करीब 50 वर्षों से अधिक समय से पुख्ता आवासीय मकान बनाकर आवास निवास कर रहे हैं, तथा इसी के पास में रोड़ बाउण्ड्री से सटता हुआ खसरा

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

नम्बर 136 रकबा 3.49 है. पथ भाग के नाम से खातेदारी में दर्ज है, लेकिन रेस्पो. संख्या 1 ने बिना किसी नपती व बिना रेस्पो. संख्या 2 की अनुमति के अकारण ही नोटिस दिया गया, जिस नोटिस पर प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर रेस्पो. संख्या 1 को यह कहा गया कि खसरा नम्बर 136 में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) प्रार्थीगण के मकान विगत 50 वर्षों पूर्व से बने हुए हैं। वो खसरा नम्बर 142 में हैं। आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद भी रेस्पो. संख्या 1 ने प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानकर गलत रूप से दिनांक 09.11.2012 को अतिक्रमी स्वयं कब्जा न हटाये तो रेस्पो. संख्या 1 (लेण्ड एण्ड ट्रैफिक) एक्ट 2003 का 13 की धारा 26(6) के अन्तर्गत जबरन कब्जा हटाया जायेगा, का गलत रूप रूप से आदेश दिनांक 09.11.2012 को पारित कर दिया गया।

(3) अधीनस्थ न्यायालय रेस्पो. संख्या 1 ने बिना किसी ठोस आधार के प्रार्थीगण को अतिक्रमी बताकर उनके 50 वर्ष पूर्व बनाये गये मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है, जो विधि के सिद्धान्तों व एन.एच. । के नियमों के सर्वथा विपरीत व मनमाना है।

(4) रेस्पो. संख्या 1 ने अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 142 की सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। तथा पटवार हल्का की व तहसीलदार की रिपोर्ट से बाहर जाकर बिना किसी खसरा नम्बर की नक्शे के अनुसार नपती नहीं करके कल्पना व कयास के आधार पर बिना किसी कारण के व भूमि अवाप्त नहीं करके बिना किसी अवार्ड के ही भूमि में बने मकानों को तोड़ने के आदेश रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दिये गये हैं।

(5) प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 1.15 है. भूमि पर काबिज होकर काश्त व आवासीय मकान बनाकर आबाद चले आ रहे हैं। इसके बावजूद रेस्पो. संख्या 1 ने बिना रेस्पो. संख्या 2 की स्वीकृति व अवाप्ति से अतिक्रमी प्रार्थीगण को मानने में भारी भूल की गई है।

अतः प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2012 मुकदमा नम्बर 111/2012 उनवानी सरकार बनाम बोदूराम निरस्त किया जावे तथा इसके साथ ही प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 142 की सीमाओं में बने मकानों को तोड़ा जाता है तो उसमें बने मकानों का उचित मुआवजा दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

3. प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री दीपक शर्मा उपस्थित आये व जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि:–

(1) वाकै ग्राम गोरियां में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136 को ही अवाप्त किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वाकै ग्राम गोरियां के खसरा नम्बर 136 में से रकबा 6.230 वर्गमीटर जो कि रा. रा. मा. संख्या 11 की सम्पत्ति (राजकीय भूमि) है कि सड़क सीमा का उल्लंघन कर अवैध कब्जा कर लेने पर प्रार्थीगण को नोटिस देकर उक्त भूमि से कब्जा हटा लेने तथा दिनांक 09.11.2012 को उपस्थित होकर अपना पक्ष करने का कहा। प्रार्थीगण की ओर से माधूराम ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया और अतिक्रमण से इंकार किया। प्रार्थीगण ने अपने मकान के संदर्भ में ग्राम गोरियां के अवाप्त किये गये खसरा नम्बर 136 के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा बावजूद नोटिस के न तो कब्जा हटाया गया और न ही ऐसा कोई सबूत पेश किया गया। अतः प्राधिकारण द्वारा आदेश पारित किया गया कि– **"प्रार्थीगण को कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज (लेण्ड एण्ड ट्रेफिक) एक्ट (2003 का 13) की धारा 26 के तहत अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अतिक्रमी स्वयं कब्जा नहीं हटावे तो अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 6 के अनुसार अतिक्रमी का कब्जा जबरन हटाया जावे।"**

(ii) प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.11.2012 को पत्रावली पर विधिवत आवाज लगवाकर सुनवाई की गई जिसमें प्रार्थीगण की ओर से माधूराम पुत्र लादूराम ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अतिक्रमण होने से इंकार किया। प्रार्थीगण ने अपने मकान के संदर्भ में ग्राम गोरियां के खसरा नम्बर 136 के स्वामित्व के संबंध में किया प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

(iii) प्रार्थीगण उक्त प्रा. पत्र के माध्यम से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136 में अतिक्रमण के आधार पर मुआवजा निर्धारण करवाकर अनुचित तरीके से मुआवजा प्राप्त करना चाहता है। जिसका मध्यस्थ महोदय को क्षैत्राधिकार ही प्राप्त नहीं है। मध्यस्थ महोदय को अवार्ड के संदर्भ में क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

(iv) प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के समक्ष भा. रा. रा.मा. प्रा. परियोजना निदेशक के द्वारा कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज (लेण्ड एण्ड ट्रेफिक) एक्ट (2003 का 13) की धारा 26 के तहत पारित आदेश दिनांक 09.11.2012 को चुनौती दी है। **कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज (लेण्ड एण्ड ट्रेफिक) एक्ट में क्षैत्राधिकार के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण ट्रिब्युनल को ही श्रवणाधिकार प्राप्त है जिसका एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि :–**

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

Sec. 14 Jurisdiction, Power, and authority of Tribunal:-

A Tribunal shall exrcise, to and from the appointed day, the jurisdiction, power and authority to entertain appeals from the orders passed or action

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

(except issuance or serving of notice) taken under saction 26,27,28,36,37 and 38 by the highway Administration or an officer authorised on its behalf, as the case may be.

15. Bar of jurisdiction:- On and from the appointed day, no court (except the Supreme Court and a High Court exercising jurisdiction under article 226 and 227 of the Constitution) or other authority, except the Tribunal shall have, or be entitled to exercise, and jurisdiction, powers or authority in relation to the matters specified in section 14.

इस प्रकार प्रार्थीगण की उक्त प्रा. पत्र श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रा. पत्र किस प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत की है, का उल्लेख भी नहीं किया है।

(v) वाकै ग्राम गोरियां में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 136 को ही अवाप्त किया गया है। इस वजह से प्रार्थीगण प्राधिकरण से कोई मुआवजा राशि निर्धारण करवाकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(vi) प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 1.15 है. में से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 हेतु भूमि अवाप्ति अधिकरी द्वारा भूमि अवाप्त ही नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थीगण प्राधिकरण से कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र खारिज फरमाकर आदेश दिनांक 09.11.2012 को पुष्ट किया जावे।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि प्रार्थीगण के मकान विगत 50 वर्षों पूर्व से बने हुए हैं। वो खसरा नम्बर 142 में हैं। तथा इसी के पास में रोड़ बाउण्ड्री से सटता हुआ खसरा नम्बर 136 रकबा 3.49 है. पथ भाग के नाम से खातेदारी में दर्ज है, लेकिन रेस्पो. संख्या 1 ने बिना किसी नपती व बिना रेस्पो. संख्या 2 की अनुमति के अकारण ही नोटिस दिया गया, जिस नोटिस पर प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर रेस्पो. संख्या 1 को यह कहा गया कि खसरा नम्बर 136 में कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 142 की सीमाओं में बने मकानों को तोड़ा जाता है तो उसमें बने मकानों का उचित मुआवजा दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. अप्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाकै ग्राम गोरियां के खसरा नम्बर 136 में से रकबा 6.230 वर्गमीटर जो कि रा. रा. मा. संख्या 11 की सम्पत्ति (राजकीय भूमि) है कि सड़क सीमा का उल्लंघन कर अवैध कब्जा कर

जिला कलक्टर, सीकर

लेने पर प्रार्थीगण को नोटिस देकर उक्त भूमि से कब्जा हटा लेने तथा दिनांक 09.11.2012 को उपस्थित होकर अपना पक्ष करने का कहा। प्रार्थीगण की ओर से माधूराम ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया और अतिक्रमण से इंकार किया। प्रार्थीगण ने अपने मकान के संदर्भ में ग्राम गोरियां के अवाप्त किये गये खसरा नम्बर 136 के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। **कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज (लेण्ड एण्ड ट्रेफिक) एक्ट में क्षैत्राधिकार के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण ट्रिब्युनल को ही श्रवणाधिकार प्राप्त है जिसका एक्ट की धारा 14 एवं 15 में स्पष्ट प्रावधान है।** इस प्रकार प्रार्थीगण की उक्त प्रा. पत्र श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रा. पत्र किस प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत की है, का उल्लेख भी नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के बाहर होने से निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 136 की प्रश्नगत भूमि को सड़क सीमा में अतिक्रमण मानते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी कर दिनांक 09.11.2012 को विधिवत् सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया है कि **''प्रार्थीगण को कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज (लेण्ड एण्ड ट्रेफिक) एक्ट (2003 का 13) की धारा 26 के तहत अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अतिक्रमी स्वयं कब्जा नहीं हटावे तो अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 6 के अनुसार अतिक्रमी का कब्जा जबरन हटाया जावे।''** प्राधिकरण द्वारा यह कार्यवाही **कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज (लेण्ड एण्ड ट्रेफिक) एक्ट की धारा 14 के तहत की गई है।**

9. **कन्ट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज (लेण्ड एण्ड ट्रेफिक) एक्ट की धारा 14 एवं 15 में प्रावधानानुसार न्यायालय हाजा को प्रकरण में सुनवाई करने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।** इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त प्रा. पत्र श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण **खारिज** किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांकः *15* फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official